**न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज**
**स्वत्व वाद सं0ः–105/2010**
**CIS NO. TS 333/2018**

बिरेन्द्र गिरी एवं अन्य.............................................................................................वादीगण
बनाम
मु0 प्रेमा देवी एवं अन्य...............................................................................प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **08.09.2025** | उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.01.2025 को अंदर धारा 74, 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुना।<br><br>**आदेश (ORDER)**<br><br>वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.01.2025 को अपने दावे के समर्थन में कई दस्तावेज एवं न्यायालय के आदेश की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपी दाखिल किया गया है। वादीगण द्वारा दाखिल कागजातों को न्यायालय द्वारा प्रदर्श अंकित कर दिया गया है, परन्तु विवादित जमीन के निस्वत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच अनुमंडल कार्यपालक पदाधिकारी, नरकटियागंज न्यायालय में वाद सं0–72/1999 टी0आर0 नं0–318/1999 अंदर धारा 145 द0प्र0सं0 में पारित आदेश दिनांक 01.03.20200 की सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपी का प्रदर्श अंकित होना छुट गया है। जबकि उक्त दस्तावेज वादीगण द्वारा पूर्व में ही दाखिल है एवं अभिलेख पर मौजूद है। यदि उपरोक्त कागजात को वादीगण की ओर से प्रदर्श अंकित नहीं किया गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं न्याय से वंचित हो जाएगें। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण द्वारा दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। | |

# न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
## स्वत्व वाद सं0ः–105/2010
## CIS NO. TS 333/2018

बिरेन्द्र गिरी एवं अन्य..........................................................................................वादीगण

बनाम

मु0 प्रेमा देवी एवं अन्य...................................................................................प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार**<br>**08.09.2025** | प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन को मौखिक विरोध किया गया है तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया है।<br><br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख अग्रिम कार्रवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 06.01.2025 को स्वीकार करते हुए दाखिल कागजात को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें।<br><br>आगामी दिनांक 29.10.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।<br><br>लेखापित<br><br>मुंसिफ<br>नरकटियागंज | |